अध्याय-2

# क्षेत्रीय कार्यालयों का कार्यक्रम

## पृष्ठभूमि

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग के नियंत्रण में 17 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जिनके माध्यम से राज्य-सरकारों तथा क्षेत्र से उसका सम्पर्क रहता है। ये कार्यालय उपयोगी कार्य कर रहे हैं और आयोग को अपने अनेक प्रकार के क्रियाकलाप में उनसे सहायता मिलती है। अत: आयोग के क्षेत्रीय संगठन के इतिहास का संक्षिप्त विवरण देना रोचक होगा।

## विशेष अधिकारी के अधीन स्थापित कार्यालय

2.2 अनुच्छेद 338 के अंतर्गत नियुक्त विशेष अधिकारी को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए संविधान में दिए गए सुरक्षणों के मामले में अन्वेषण करने और राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आयुक्त के रूप में पदनामित पहले विशेष अधिकारी की नियुक्ति 18-11-1950 को की गई। स्थानीय स्तर पर सहायता के लिए आयुक्त के अधीन 17 क्षेत्रीय कार्यालय रखे गए। इन क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रमुख सहायक आयुक्त, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति बनाए गए जिनका पदनाम जुलाई 1965 में बदलकर उपायुक्त कर दिया गया। इन कार्यालयों ने क्षेत्रीय अध्ययन किए और राज्यों/संघीय क्षेत्रों की सरकारों के क्षेत्राधिकार में आने वाले मामलों पर उन सरकारों के साथ अनुवर्ती कार्यवाही की।

## पिछड़ा वर्ग कल्याण महानिदेशालय के अधीन स्थापित कार्यालय

2.3 1967 के वर्ष में शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय के तात्कालिक समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत पिछड़ा वर्ग कल्याण महानिदेशालय के नाम से एक नया संगठन स्थापित किया गया। आयुक्त के कार्यालय के उपरोक्त 17 क्षेत्रीय कार्यालायों को जून 1967 में 5 आंचलिक (जोनल) कार्यालयों के रूप में पुनर्गठित किया गया और महानिदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण के नवसृजित पद के अधीन रखा गया। प्रत्येक आंचलिक कार्यालय का प्रमुख आंचलिक निदेशक को बनाया गया और पहले सृजित किए गए क्षेत्रीय उपायुक्त, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पदों का नाम बदलकर उप निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण कर दिया गया तथा उन्हें आंचलिक निदेशक, चंडीगढ़ (उत्तरी अंचल), भोपाल (मध्य अंचल), पटना (पूर्वी अंचल), बड़ौदा (पश्चिमी अंचल) तथा मद्रास (दक्षिणी अंचल) के नियंत्रणाधीन रखा गया। पूर्वी अंचल कार्यालय की दो शाखाएं-भुवनेश्वर और शिलांग में थी। बाद में मध्य अंचल का एक शाखा कार्यालय लखनऊ में स्थापित किया गया और 1969 में पश्चिमी अंचल कार्यालय को अहमदाबाद में स्थानान्तरित कर दिया गया। यह व्यवस्था नवम्बर 1978 तक कायम रही। इस अवधि में इन कार्यालयों ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के मामलों में शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्रालय, राज्य सरकारों और संघ क्षेत्र प्रशासन के साथ संपर्क बनाए रखा।

2.4 दिनांक 21-7-1978 के संकल्प द्वारा भारत सरकार ने एक अ० जा० एवं अ०ज०जा० आयोग की स्थापना की जिसके कार्य मोटे तौर पर तत्कालीन विशेष अधिकारी को सौंपे गए कार्यों के ही अनुरूप थे। 1-12-1978 से पिछड़ा वर्ग महानिदेशालय के उपरोक्त क्षेत्रीय कार्यालयों को नए स्थापित किए गए अ०जा० एंवं अ०ज०जा० आयोग में स्थानान्तरित कर दिया गया।

## आयोग/राष्ट्रीय अ०जा० एवं अ०ज०जा० आयोग के अधीन स्थापित कार्यालय

2.5 महानिदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण के अधीन कार्य करने वाले अधिकारियों का पदनाम आचलिक निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं उप निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण से बदलकर क्रमश; निदेशक, अ०जा० और अ०ज०जा० तथा उप निदेशक, अ०जा० और अ०ज०जा० कर दिया गया। आयोग द्वारा आंचलिक व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया और स्वतंत्र क्षेत्राधिकार रखने वाले 17 क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए गए। चूंकि ये क्षेत्रीय कार्यालय तत्कालीन आयुक्त, अ०जा० और अ०ज०जा० के लिए भी काम करते थे, अत: निदेशक, अ०जा० और अ०ज०जा० का पदनाम पुन: बदलकर निदेशक, अ०जा० और अ०ज०जा० तथा पदेन उपायुक्त, अ०जा० और अ०ज०जा० कर दिया गया। आयोग तथा आयुक्त, अ०जा० और अ०ज०जा० के कार्यों के बीच सीमांकन करने के लिए सितम्बर 1987 में अ०जा० एवं अ०ज०जा० का नाम बदलकर राष्ट्रीय अ०जा० तथा अ०ज०जा० आयोग कर दिया गया। राष्ट्रीय आयोग के कार्यों में अनुसंधान अध्ययन शामिल था जबकि अनुच्छेद 338 के अंतर्गत कार्य और दायित्व विशेष अधिकारी के पास ही रहे। इन 17 क्षेत्रीय कार्यालयों को इस प्रकार गठित किए गए राष्ट्रीय आयोग में स्थानांतरित कर दिया गया और साथ ही विशेष अधिकारी की सेवा का

दायित्व भी उन्हें सौंपा गया। आयोग के सांविधानिक निकाय बनने के बाद क्षेत्रीय कार्यालय आयोग के सीधे नियन्त्रण में आ गए। तथापि, ये क्षेत्रीय कार्यालय आयोग के सचिवालय के माध्यम से मंत्रालय की ओर से की गई विशेष प्रार्थना पर गैर-सरकारी संगठनों का निरीक्षण अब भी करते हैं।

## राष्ट्रीय आयोग के अधीन वर्तमान व्यवस्था

2.6 आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों के अवस्थान, अधिकार क्षेत्र और पदनाम तथा प्रत्येक में 31-3-94 को मौजूदा स्थिति निम्न-लिखित थी :

सारणी-1

| अवस्थान | 11-3-93 को प्रभारी अधिकारी का पदनाम | अधिकार क्षेत्र | टिप्पणियां |
|---|---|---|---|
| अगरतला | उप-निदेशक | त्रिपुरा | उप निदेशक का पद दिनांक 12-3-93 को समाप्त कर दिया गया |
| अहमदाबाद | निदेशक | गुजरात, दादरा और नागर हवेली | |
| बेंगलूर | निदेशक | कर्नाटक | |
| भोपाल | निदेशक | मध्य प्रदेश | |
| भुवनेश्वर | निदेशक | उड़ीसा | |
| कलकत्ता | निदेशक | पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह | |
| चण्डीगढ़ | उप-निदेशक | पंजाब, हरियाणा चण्डीगढ़ | उप निदेशक का पद दिनांक 12-3-92 को समाप्त कर दिया गया |
| गुवाहटी | उप-निदेशक | असम | जयपुर में निदेशक का पद समाप्त किए जाने के कारण उप-निदेशक का पद जयपुर में स्थानांतरित कर दिया गया। |
| हैदराबाद | निदेशक | आन्ध्र प्रदेश | निदेशक का पद 12-3-92 को समाप्त कर दिया गया। |
| जयपुर | निदेशक | राजस्थान | उपरोक्त |
| लखनऊ | निदेशक | उत्तर प्रदेश | |
| मद्रास | निदेशक | तमिल नाडु, पांडिचेरी | |
| पटना | निदेशक | बिहार | निदेशक का पद दिनांक 12-3-92 को समाप्त कर दिया गया। |
| पुणे | निदेशक | महाराष्ट्र, गोवा, दमण और दीव | |
| शिलांग | निदेशक | मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम | |
| शिमला | उप-निदेशक | हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर | उप निदेशक का पद दिनांक 12-3-92 से समाप्त कर दिया गया। |
| तिरुवन्तपुरम | उप-निदेशक | केरल, लक्षद्वीप | |

## क्षेत्रीय कार्यालयों में किया गया कार्य

2.7 जैसा कि अन्यत्र उल्लेख किया गया है, पदों के समाप्त किए जाने और रिक्तियों को भी न भरे जाने के कारण क्षेत्रीय कार्यालयों में स्टाफ की कमी के बावजूद क्षेत्रीय कार्यालयों ने विभिन्न प्रकार का काम किया जिसमें अत्याचार के मामलों में की गई क्षेत्रीय जांच-पड़ताल भी शामिल है।

2.8 1993-94 के दौरान क्षेत्रीय कार्यालयों में शिकायतों और अभ्यावेदनों तथा अ०जा०/अ०ज०जा० के विरुद्ध किए गए अपराधों के बारे में प्राप्त विभिन्न प्रकार के मामलों और उन पर की गई कार्यवाही का ब्यौरा निम्नलिखित है :—

| क्र० सं० | विषय वस्तु | शिकायतों की संख्या |
|---|---|---|
| 1. | सेवा सुरक्षण | 1776 |
| 2. | भूमि और वन | 251 |
| 3. | शिक्षा | 101 |
| 4. | आवास | 58 |
| 5. | रोजगार | 16 |
| 6. | आर्थिक विकास योजनाएं | 18 |
| 7. | वितरक एजेन्सियां | 3 |
| 8. | अत्याचार और छुआछूत | 1309 |
| 9. | अन्य विविध प्रश्न | 450 |
| | योग | 3982 |

2.9 इन मामलों पर कार्यवाही करने के लिए यह सामान्य प्रक्रिया अपनाई जाती है कि पहले तो संबंधित संगठनों अथवा प्राधिकरणों से तथ्य मंगाए जाते हैं। उत्तर प्राप्त होने पर यदि यह पाया गया कि किसी सुरक्षण का उल्लंघन हुआ था अथवा अ०जा०/अ०ज०जा० को परेशान किया गया था या गंभीर असुविधा पहुंचाई गई थी तो सुधारात्मक कार्रवाई के लिए उसे समुचित प्राधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है।

2.10 यातना देने और छुआछूत करने के विषय में जिन अनेक घटनाओं की प्रैस में रिपोर्ट छपी थी, उनके बारे में वायरलेस/तार से रिपोर्ट मंगाई गई। हत्या और बलात्कार के गंभीर मामलों में क्षेत्रीय अधिकारियों ने या तो स्वत: या मुख्यालय से अनुदेश मिलने पर मौके पर जाकर जांच-पड़ताल की। जिस वर्ष की रिपोर्ट दी जा रही है उस वर्ष में क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा (38) मामलों में ऐसी जांच की गई।

## कल्याण मंत्रालय की ओर से गैर-सरकारी संगठनों द्वारा चलाई जा रही परियोजनाओं का मूल्यांकन/निरीक्षण

2.11 इससे पूर्व क्षेत्रीय कार्यालय क्रमश: समाज कल्याण मंत्रालय अथवा गृह मंत्रालय के सीधे नियंत्रण में थे क्योंकि समय-समय पर वे ही प्रशासनिक मंत्रालय थे। उनसे अपेक्षा थी कि वे मंत्रालयों के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करें। इसके अतिरिक्त, वे पहले भूतपूर्व आयुक्त और बाद में आयोग के क्षेत्रीय प्रतिनिधि का भी कार्य करते थे। अन्य क्रियाकलाप के अतिरिक्त, वे उन कल्याण परियोजनाओं के निरीक्षण/मूल्यांकन का काम भी करते थे जो भारत सरकार की सहयता से गैर सरकारी संगठनों द्वारा चलाए जाते थे। वे उन गैर-सरकारी संगठनों का निरीक्षण भी करते थे जिन्होंने सरकारी अनुदान के लिए आवेदन किया था। इस कार्य से उन कर्मचारियों और निधियों पर और अधिक दबाव पड़ता था जो आयोग को क्षेत्र में सहायता करने के लिए उपलब्ध कराए गए थे और क्षेत्रीय कार्यालयों का काफी समय इस कार्य में नष्ट हो जाता था। आयोग ने मंत्रालय से अनुरोध किया है कि गैर-सरकारी संगठनों के निरीक्षण के लिए पर्याप्त कर्मचारी उपलब्ध कराए या वैकल्पिक व्यवस्था करे।

2.12 तथापि, कल्याण मंत्रालय के अनुरोध पर मंत्रालय द्वारा भेजी गई गैर-सरकारी संगठनों की परियोजनाओं का निरीक्षण/मूल्यांकन/समीक्षा करने के लिए आयोग अपने क्षेत्रीय कार्यालयों से कहता रहा है। रिपोर्ट के वर्ष के दौरान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा गैर-सरकारी संगठनों की जिन परियोजनाओं का मूल्यांकन/निरीक्षण किया गया उनकी संख्या निम्नलिखित है :—

**सारणी-3**

| क्र० सं० | क्षेत्रीय कार्यालय का नाम | 93-94 के दौरान किए गए निरीक्षणों की संख्या |
|---|---|---|
| 1. | उप निदेशक अ०जा०/अ०ज०जा०, अगरतला | — |
| 2. | निदेशक अ०जा०/अ०ज०जा०, अहमदाबाद | 2 |
| 3. | निदेशक अ०जा०/अ०ज०जा०, बैंगलूर | 9 |
| 4. | निदेशक अ०जा०/अ०ज०जा०, भोपाल | 7 |
| 5. | निदेशक अ०जा०/अ०ज०जा०, भुवनेश्वर | 19 |
| 6. | निदेशक अ०जा०/अ०ज०जा०, कलकत्ता | 30 |
| 7. | उप निदेशक अ०जा०/अ०ज०जा०, चण्डीगढ़ | 2 |
| 8. | उप निदेशक अ०जा०/अ०ज०जा०, गुवाहाटी | 4 |
| 9. | निदेशक अ०जा०/अ०ज०जा०, हैदराबाद | 62 |
| 10. | निदेशक अ०जा०/अ०ज०जा०, जयपुर | 10 |
| 11. | निदेशक अ०जा/अ०ज०जा०, लखनऊ | 32 |
| 12. | निदेशक अ०जा०/अ०ज०जा०, मद्रास | 18 |
| 13. | निदेशक अ०जा०/अ०ज०जा०, पटना | 15 |
| 14. | निदेशक अ०जा०/अ०ज०जा०, पुणे | 2 |
| 15. | निदेशक अ०जा०/अ०ज०जा०, शिलांग | 14 |
| 16. | उप निदेशक अ०जा०/अ०ज०जा०, शिमला | 1 |
| 17. | उप निदेशक अ०जा०/अ०ज०जा०, तिरुवनन्तपुरम | 2 |
| | योग : | 229 |